

## Order sheet [Contd]

case No: ba-164/17

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
<p>04/05/17</p> <p>02:40 pm</p> <p>To</p> <p>02:50pm</p>	<p>आवेदक/अभियुक्त अविनाश उर्फ गुरुवचन द्वारा श्री जी.एस. निगम अधिवक्ता उप0।</p> <p>राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उप0।</p> <p>थाना एण्डोरी के अपराध क्रमांक 23/17 अंतर्गत धारा-326, 323, 294, 506 एवं 34 भा0दं0सं0 की कैफीयत एवं केस डायरी प्राप्त।</p> <p>आवेदक के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-438 दं0प्र0सं0 के साथ आवेदक अविनाश उर्फ गुरुवचन के पिता रामभजन द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र एवं आवेदन में यह बताया गया है कि यह आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-438 दं0प्र0सं0 का है। इस प्रकृति का कोई आवेदन समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है, न खारिज हुआ है और न ही विचाराधीन है।</p> <p>आवेदक गुरुवचन के अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-438 भा0दं0सं0 पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।</p> <p>आवेदक की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसके विरुद्ध अभियोगी दशरथ सिंह ने पुलिस से मिलकर झूठा अजमानतीय अपराध पंजीबद्ध करा दिया है। कथित अपराध से आवेदक का कोई संबंध, सरोकार नहीं है। आवेदक के न्यायिक निरोध में रहने से उसके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। सहआरोपी रामभजन की अग्रिम जमानत का आदेश माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा किया जा चुका है। सहआरोपी के अपराध से आरोपी का अपराध भिन्न नहीं है, इसलिए समानता के सिद्धांत के आधार पर आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायाहित में आवश्यक है। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।</p> <p>उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफीयत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 05.03.17 को रात्रि 10:30 बजे के लगभग ग्राम आलौरी के पुरा में फरियादी दशरथ जाटव सहअभियुक्त रामभजन से उधारी के 10,000/-रुपए मांगने पर रामभजन ने उसे अश्लील गालियां दीं एवं रामभजन ने उसे पकड़ लिया, अविनाश उर्फ गुरुवचन ने उसे हंसिया मारा जो उसके होंठ में लगा, जिससे उसका दांत टूट गया, आकाश ने उसे लाठियां मारी उक्त घटना की रिपोर्ट थाना एण्डोरी में की गई।</p> <p>आवेदक अविनाश उर्फ गुरुवचन की ओर से सहमतिपत्र की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें यह तथ्य है कि आवेदक को जमानत दिए जाने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु जमानत के इस स्तर पर राजीनामे पर विचार नहीं किया जा सकता। जहां तक कि</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>समानता का प्रश्न है, सहअभियुक्त रामभजन की आयु 62 वर्ष की है और उसने फरियादी दशरथ को केवल पकड़ा था, जबकि आरोपी अविनाश उर्फ गुरुवचन ने दशरथ को हंसिया मारा है।</p> <p>अतः ऐसी स्थिति में आवेदक अविनाश उर्फ गुरुवचन का मामला रामभजन के एकदम समान नहीं है। मामले की संपूर्ण परिस्थितियों, तथ्यों एवं आवेदक अविनाश उर्फ गुरुवचन के कृत्य को देखते हुए, उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।</p> <p>केस डायरी आदेश की प्रति के साथ वापिस की जावे।</p> <p>नतीजा दर्ज करने के बाद यह आदेश पत्रिका एवं प्रपत्र अभिलेखागार में भेजा जावे।</p> <p style="text-align: center;">(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड</p>	